न्यायालय कलेक्टर एंव भू–अर्जन अधिकारी जिला मुरैना म0प्र0

प्र0क0 / 17 / 2016–17 / अ–82 / रायपुर /

मुख्य निर्माण अभियंता (अनुसंधान एंव विकास)
रक्षा अनुसंधान एंव विकास संगठन (D.R.D.O)
रक्षा मंत्रालय, P-1, बिल्डिंग, मेटकॉफ हॅाउस,
दिल्ली, 110 054

.... आवेदक

विरुद्ध

कला वेवा मांगीलाल,
निवासी रायपुर, बगैरह

.... अनावेदक

अधिनिर्णय (पारित दिनांक 20.06.2017)

आवेदक, मुख्य निर्माण अभियंता (अनुसंधान एंव विकास), रक्षा अनुसंधान एंव विकास संगठन, दिल्ली, द्वारा पत्र दिनांक 20.5.2016 से ग्राम रायपुर, तहसील– कैलारस, स्थित निजी भूमि सर्वे कमांक 38, 39, 40, 72, 74 रकवा कमशः 2.08, 0.19, 0.49, 0.31, 0.32 मे से रकवा 0.15, 0.06, 0.06, 0.045, 0.25 कुल किता 05 कुल रकवा 0.565 हेक्टयर अर्जित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। पुनः अपने पत्र दिनांक 02.06.2016 से प्रस्ताव संशोधित करते हुये निजी भूमि का अर्जन किये जाने हेतु लेख किया गया। संशोधित सर्वे कमांक एंव क्षेत्रफल इस प्रकार हैः–

सर्वे कमांक	कुल रकवा (हेक्टयर मे)	अर्जन हेतु रकवा (हेक्टयर मे)
38	0.19	0.06
39	0.49	0.06
40	0.31	0.045
72	2.08	0.15
कुल किता 04		0.315 हे0

तहसीलदार– कैलारस, द्वारा स्थल पर जांच की गई। म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, के पत्र कमांक/16/570/2016/सात/शा.2ए, भोपाल, दिनांक 26.10.2016 से "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एंव पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" (2013 का 30) जिसे आगे "भू–अर्जन अधिनियम 2013" कहा जावेगा, इसकी धारा 40 के तहत भू–अर्जन किये जाने का उल्लेख किया गया है। कमानुसार भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत पत्र कमांक 5095 दिनांक 11.11.2016 से प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई, जो म0प्र0 राजपत्र भाग–01 के पृष्ठ क0 4715 पर प्रकाशित हुई। दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान एक्सप्रेस" तथा "अजय भारत" मे दिनांक 12.11.2016 को प्रकाशित हुई। कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय एंव ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर एंव ग्राम रायपुर की ग्राम चौपाल पर दिनांक 14.11.2016 को चस्पा की गई। नियत समय सीमा की अंतिम तिथि तक कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने के उपरान्त धारा 19 की कार्यवाही की गई।

भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 40 को शामिल करते हुये धारा 19(1) के तहत अधिसूचना कार्यालय कलेक्टर एंव भू–अर्जन अधिकारी मुरैना के पत्र कमांक 6353 दिनांक 23.12.2016 को जारी की गई, म0प्र0 राजपत्र मे भाग–1, दिनांक 13.01.2017 के पृष्ठ क0 112–113 पर प्रकाशित हुई। दैनिक समाचार पत्र "स्वदेश" मे दिनांक 06.01.2017 को प्रकाशित हुई।

भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के तहत समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना पत्र दिनांक 17.04.2017 को जारी किये गये, जो कलेक्टर मुरैना के वेबपोर्टल पर दिनांक 18.04.2017 को अपलोड किया गया। भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(2) के तहत भू–स्वामियों को व्यक्तिगत सूचना पत्र दिनांक 17.04.2017 को जारी किये गये, जिससे दिनांक 16.05.2017 तक भूमि पर के स्वत्व, दावे, आपत्ति प्रस्तुत करने का लेख किया गया। नियत अवधि के अंतिम दिनांक तक कोई भी दावा–आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 के तहत बाजार दर का निर्धारण किये जाने के लिये गाइड लाइन 2016–17 तथा वास्तविक विकय पत्रों की जानकारी जिला पंजीयक मुरैना से प्राप्त की गई। समीपवर्ती ग्राम नगावनी के विकय पत्र शामिल किये गये। वास्तविक विकय पत्र व गाइड लाइन की दर एक समान होने से गाइड के अनुसार सिंचित व असिंचित भूमि की दर रु0 12.00 लाख (बारह लाख मात्र) प्रति हेक्टयर निर्धारित की गई।

भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत ग्राम रायपुर की भूमि अर्जित की जाकर निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है:–

(एक) अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्यांकनः–

(अ) सिंचित भूमि 0.315 हे0 की रु0 12,00,000.00 प्रति हेक्टयर की दर से मूल्यांकन राशि	रु0 3,78,000.00
(ब) असिंचित भूमि (निरंक) की रु0 12,00,000.00 प्रति हेक्टयर की दर से मूल्यांकन राशि	रु0 निरंक
भूमि की कुल राशि–	रु0 3,78,000.00

(दो) परिसम्पत्तिः–

(स) कुआं / बोर / ट्यूबवेल	रु0 निरंक
(द) निर्माण भवन / बाउन्ड्री	रु0 निरंक
(इ) वृक्ष आदि	रु0 निरंक
भूमि एंव वृक्ष व परिसम्पतियों की कुल राशि–	रु0 3,78,000.00)
शासन के परिपत्र दिनांक 06 सितम्बर 2014 अनुसार गुणांक	01
भूमि एंव परिसम्पतियों की कुल राशि–	रु0 3,78,000.00

(तीन) भू–अर्जन अधिनियम की धारा 30 (3) के तहत संगणित राशि, धारा 11 के प्रकाशन दिनांक 11.11.2016 से अवार्ड दिनांक 20.06.2017 तक 07 माह 10 दिवस के लिये

संगणित राशि–	रु0 27,703.00

(चार) भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30(1) के तहत

तोषण राशि (उपरोक्त बिन्दु–दो अनुसार)	रु0 3,78,000.00
कुल राशि–	रु0 7,83,703.00
प्रशासनिक शुल्क 05%	रु0 39,185.00
कुल अवार्ड राशि–	**रु0 8,22,888.00**

(कुल अवार्ड राशि अक्षरी आठ लाख बाईस हजार आठ सौ अठासी रु0 मात्र)

नोट– व्यक्तिगत भूमि स्वामियों के अधिनिर्णय राशि पृथक से परिशिष्ट A एंव B संलग्न हे जो अधिनिर्णय का हिस्सा होगा।

भू अर्जन अधिकारी
जिला मुरैना म0प्र0

कलेक्टर
जिला मुरैना म0प्र0